



राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD

(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम

ADDL. CHIEF ENGINEER-I,

No.: ACE-I/RHB/JPR/2019-20/ 513

Date: 3-2-2020

संशोधन सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 2019-20/15 के मद संख्या 01 "Construction of 3.0 MLD STP on SBR process, laying & jointing of rising pipe line from CWR to OHSR & Distribution pipe line from OHSR to gardens including O&M of STP & horticulture system for five year at Indira Gandhi Nagar, Jaipur." को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

अतिरिक्त ^{सद-} मुख्य अभियंता-प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. आवासीय अभि., ई-प्रोक, रा0आ0म0 जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदाओं को ई-प्रोक पर अपलोड कराने का श्रम करें।
3. आवासीय अभि., खण्ड-पी.एच.ई-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. परि.अभि. (व.) अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रथम), रा0आ0म0, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम